घर-घर
औषधि योजना

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर

क्रमांकः– एफ.( )तकनीकी/मुवसं/व.जी./2022–23/ 83 दिनांक 10/01/23

निमित्त,
उप वन संरक्षक
वन्यजीव राजसमन्द

विषयः– 'Construction of Bypass Road from NH-8 to Kothariya & Nathuwas link road,Tehsil-Nathdwara,District-Rajsamand . (Rajasthan )'(FP/RJ/ROAD/1541 37/2022 )

संदर्भः– आपका पत्रांक FCA/2021/ 13009/ दिनांक 30.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय द्वारा किये गये EDS के संर्दभ में आप द्वारा दिये प्रत्युत्तर के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट नही की गई है।

अतः स्थिति स्पष्ट करे–

1. इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 2500/दिनांक 29.11.2022 में बिन्दु संख्या (2) के अनुसार लगभग 5.45 हैक्टर वनभूमि प्रस्तावित सड़क के दूसरी ओर छोड़ी जाने से वह वनभूमि अतिक्रमणों के होने की पूरी संभावना रहेगी। अतः उक्त छोडी गई वन भूमि 5.45 हैक्टर को भी डायवर्जन हेतु प्रस्ताव में सम्मिलित किया जावे। साथ ही प्रस्तावित सड़क के किनारे–किनारे 6 फीट ऊँची पक्की दीवार निमार्ण कार्यकारीएजेंन्सी से करवाने हेतु ऐफिडेबिट भी लिया जावे ताकि शेष बची वनभुमि को भविष्य में अतिक्रमण से बचाई जा सके।
2. नाथद्वारा से मावली एवं कोठारिया जाने वाली सड़को को लिंक करने हेतु वनभूमि से प्रस्तावित की गई सड़क के अतिरिक्त क्या कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है ? इस क्रम में आप द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की है जबकि एक नोटिस के क्रम में सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड नाथद्वारा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी गई जानकारी के अनुसार नाथद्वारा नेशनल हाइवे नम्बर 08 से कोठारिया एवं नाथूवास के लिये सड़क पहले से ही विघमान है(प्रतिलिपि संलग्न)। कृप्या इस संबंध में औचित्य स्पष्ट करे।
3. आपके संदर्भित पत्र के बिन्दु सं.(3) में आप द्वारा वर्णित किया गया है कि इस कार्यालय द्वारा सुझाय गये कम खर्च में निर्मित किये जाने वाले सीधे रूट में अत्यधिक ऊँचाई वाले पहाड़ एवं चट्टान होने से इस पर निर्माण किया जाना संभव नही है। इस क्रम में कार्यकारी एजेंसी द्वारा करवाये गये फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की प्रति संलग्न करावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय
(आर.के.खैरवा)
मुख्य वन संरक्षक
वन्यजीव,उदयपुर



z

# कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड नाथद्वारा

क्रमांक 119 दिनांक 20/05/2022

## सूचना

आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई सूचना निम्न प्रकार है :--

| मांगी गई सूचना | प्रत्युत्तर |
|---|---|
| 1. नाथद्वारा नेशनल हाईवे 08 से कोठारिया के लिए सडक विधमान है या नहीं की जानकारी | 1. नाथद्वारा नेशनल हाईवे 08 से कोठारिया के लिए सडक विद्यमान है। |
| 2 यदि नाथद्वारा नेशनल हाईवे नम्बर 08 से कोठारिया के लिए सडक विद्यमान है, तो उसकी वर्तमान स्थिति व नक्शे की प्रति। | 2 नाथद्वारा नेशनल हाईवे नम्बर 08 से कोठारिया के लिए सडक विद्यमान है, और उसकी वर्तमान स्थिति मौके पर 5.50 मीटर चौडाई में बनी हुई है। लेकिन नक्शे की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। |
| 3 नाथद्वारा नेशनल हाईवे नम्बर 08 से नाथुवास के लिए सडक विधमान है या नहीं की जानकारी । | 3. नाथद्वारा नेशनल हाईवे नम्बर 08 से नाथुवास के लिए सडक विधमान है। |
| 4. यदि नाथद्वारा नेशनल हाईवे नम्बर 08 से नाथुवारा के लिए सडक विधमान है तो उसकी वर्तमान स्थिति व नक्शे की प्रति। | 4. नाथद्वारा नेशनल हाईवे नम्बर 08 से नाथुवास के लिए सडक विधमान है और उसकी वर्तमान स्थिति मौके पर बनी हुई है लेकिन नक्शे की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। |

(एन एल कोली)
सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि.उपखण्ड नाथद्वारा